

# अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

298/2024/78

इंडर चेंस / धनराज

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
जारी हुए

तारीख

2024/298

पेशी

श्री श्री सुनीता रावत श्री

7/4/28

पत्रावली पेश की गई अपिनाबुद खीलांर 35  
अपिनाबुद खीलांर ने दिनांक 4.12.2024 को अपील  
प्रस्तुत की गई थी किन्तु आज दिनांक 15 अपिनाबुद  
न्यायालय के अधिन के प्रमाणित प्रति पेश नहीं की है  
अपिनाबुद अपील को लगाना कर प्रथम डिजे  
जा चुका है। अतः न्यायालय द्वारा के अधिन के  
पालना नहीं किये जाने के प्रकरण को प्रत्येक अपील  
में खारिज किया जाता है पत्रावली के बलरुपाए  
दिनांक 15 अपिनाबुद

**राजस्व अपील प्राधिकारी**  
अजमेर



न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी महोदय  
अजमेर (राज.)

-00- 298/2024

अपील एल.आर. संख्या / 2024

-00-

2024/298

1050  
श्री सीताराम शंकर एड.ने  
अपील फेअर को  
अपील वाउचर  
जिरी टाकर  
चर्चा

रजिस्ट्रार अपील अधिकारी  
अजमेर

29/11/24

298/2024  
29/11/24

1. इन्दरचन्द पुत्र लादू जाति माली
2. कैलाश पुत्र लादू जाति माली
3. ज्ञाना पुत्री लादू जाति माली
4. जाना पुत्री लादू जाति माली
5. टीना पुत्री सांवरा जाति माली नाबालिग जरिये माता सुमित्रा
6. नरेन्द्र पुत्र सांवरा जाति माली नाबालिग जरिये माता सुमित्रा
7. पुखराज पुत्र लादू जाति माली
8. मनफूल पुत्र हरदेव जाति माली
9. महेन्द्र पुत्र लादू जाति माली
10. राजू पुत्र लादू जाति माली
11. लाडी पत्नि लादू जाति माली
12. सुमित्रा पत्नि सांवरा जाति माली समस्त निवासी ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर

अपीलार्थीगण

बनाम

1. धनराज पुत्र भंवरलाल जाति माली
2. जगदीश पुत्र भंवरलाल जाति माली
3. सांवरलाल पुत्र भंवरलाल जाति माली
4. श्रीमती गोमा पत्नि कालू जाति माली
5. श्रीमती राधा पत्नि छीतर जाति माली समस्त निवासी ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर
6. दी मैनेजर, बैंक आफ बडौदा शाखा रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर
7. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार नसीराबाद जिला अजमेर

कैलाशमाली

लाहि  
सुमित्रा

मंदार

राजू

पुखराज माली जाना

रेस्पोंडेन्टगण

*(Signature)*

इन्दरचन्द

जाना

मनफूल

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम  
1956 नियमन आदेश दिनांक 08.07.1984 उपखण्ड अधिकारी  
अजमेर द्वारा पारित नियमन आदेश के विरुद्ध अपील बाबत

मान्यवर,

माननीय न्यायालय से अपीलान्त का निम्न निवेदन  
है कि :-

1. यह कि अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर की भूमि पुराने चौसाला खसरा नम्बर 471 के वर्किंग जमाबंदी में बने नवीन खसरा नम्बर 584 रकबा 15-0-0 भूमि अपीलान्तगण के पूर्वज हरदेव पुत्र काना को दिनांक 25.06.1964 को आवंटन की गयी थी तथा आवंटनशुदा भूमि पर हरदेव पुत्र काना काविज मालिक स्वामी चले आ रहे थे उनकी मृत्यु के पश्चात वारिस अपीलान्तगण भूमि के काविज मालिक स्वामी चले आ रहे थे किन्तु वर्किंग जमाबंदी के खसरा नम्बर 584 रकबा 15-0-0 के वर्तमान राजस्व रेकार्ड में बने हाल खसरा नम्बर 886 रकबा 0.51, 887 रकबा 1.97 हैक्टेयर भूमि में रेस्पोजेन्ट संख्या 1 से 3 का वर्किंग जमाबंदी एवं वर्तमान राजस्व रेकार्ड में 1/3 हिस्से में गलत नाम अंकन कर दिया गया को दूरुस्ती का वाद उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष अपीलान्तगण द्वारा प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन है उक्त वादपत्र में रेस्पोजेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा दिनांक 17.09.23 को आदेश 7 नियम 14(3) जवाब प्रार्थना पत्र में आवंटन दिनांक 08.07.1984 की प्रति प्रस्तुत की गयी जबकि उपरोक्त भूमि अपीलान्तगण के पूर्वज को वर्ष 1964 में ही आवंटन/नियमन हो चुकी थी तथा रेस्पोजेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा सभी तथ्यो को छुपाते हुऐ एक अलग से राजस्व वाद संख्या 128/23 दिनांक 03.08.2023 को प्रस्तुत किया जो एकपक्षीय निर्णय डिक्री दिनांक 29.05.2024 को पारित की गयी की जानकारी दिनांक 21.6.2024 को पटवार हल्के से विभाजन प्रस्ताव के समय अपीलान्तगण को होने पर आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 20.11.2024 को खारिज किया गया के पश्चात तथाकथित आवंटन आदेश दिनांक 08.07.84 की

के. लाल शर्मा जी  
दाहिनी  
सुमित्रा शर्मा

मेहर

पुष्कराज माली

जी. जी.

जाना मनपूला

इन्दर नन्द